

ता. १७/०२/२०२५

गार्गी'- महिला सर्वांगी विकास केंद्र द्वारा

महिलालक्षी पुस्तक लेखन - प्रकाशन पुरस्कार - 2025

डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 'गार्गी-महिला सर्वांगी विकास केन्द्र' की स्थापना महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, विकास पर ध्यान केंद्रित कर महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से की गयी है. विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की ग्रामीण और शहरी हर उम्र की महिलाएँ जैसे आदिवासी महिलाएँ, विधवाएँ, शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएँ, ट्रांसजेंडर और यौनकर्मि जेसी महिलाएँ इस केंद्र से जुड़ रही हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख पा रही हैं.

यह केंद्र प्रतिवर्ष महिलाओं से महिलासंबंधी किसी भी विषय पर लिखी पुस्तक के प्रकाशन के लिए कुल ₹5,000/- का अनुदान प्रदान करता है. इस वर्ष पुनः महिलाओं द्वारा महिला संबंधी किसी मुद्दे पर लिखी गयी पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित है. अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी gargi@baou.edu.in इस ईमेल आईडी पर दिनांक **20/04/2025** तक भेजी जा सकती है.

➤ पुस्तक लेखन- प्रकाशन प्रस्ताव के लिए मार्गदर्शन-

- यह प्रस्ताव मात्र महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर/ट्रांसवीमेन के लिए ही वैध है.
- 'गार्गी' सेन्टर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन' अंतर्गत महिलालक्षी विषय को ध्यान में रखते हुए लिखी गयी मौलिक पुस्तक के प्रकाशन के लिए ही यह अनुदान दिया जाता है.
- इस योजना का उद्देश्य महिला लेखकों को अपनी पुस्तक प्रकाशित करने में मदद करना है.
- प्रस्ताव अनुमोदित होने के छह (6) माह के अंदर पुस्तक प्रकाशित करना अनिवार्य होगा.
- जाँच और चयन समिति द्वारा पसंद की गई पुस्तकों के प्रकाशन के लिए रु. 5000/- का अनुदान दिया जायेगा.
- जिस पुस्तक के प्रकाशन के लिए पुरस्कार मांगा गया है उसका प्रस्ताव ईमेल पते gargi@baou.edu.in पर भेजा जाना चाहिए.
- पुस्तक महिला केन्द्रित होनी चाहिए और केवल एक महिला लेखक द्वारा लिखी होनी चाहिए.
- पुस्तक लेखन मौलिक होना चाहिए. लेखिका को मौलिक लेखन का स्वप्रमाणपत्र देना अनिवार्य है.
- पुस्तक का प्रस्ताव 2500 शब्दों में लिखकर भेजा जाना चाहिए.
- पुस्तक कम से कम 80 पृष्ठों की होनी चाहिए.
- पुस्तक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर छह (06) महीने की समय सीमा के भीतर पुस्तक प्रकाशन के लिए प्रस्तुत होनी चाहिए.
- पुस्तक गुजराती, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखी जा सकती है.

- पुस्तक की अनुक्रमणिका में पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्यतः होना चाहिए.
- लेखक को अपना संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है.
- लेखक को एक घोषणापत्र देना होगा जिसमें कहा गया हो कि प्रकाशित होने वाली कृति या उसका भाग कहीं अन्य प्रकाशित नहीं किया गया है.
- अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं.
- सभी प्रस्तावों की जाँच और समीक्षा चयन समिति द्वारा की जाएगी.
- पुस्तक प्रकाशन के सम्बन्ध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा.
- पुस्तक में प्रकाशित जानकारी, तथ्यों, विचारों की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेखक रहेगी.
- प्लेज्यारिझम (साहित्यिक चोरी) के संबंध में जांच होने के बाद ही पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा. यदि किसी प्रस्ताव या अंतिम रिपोर्ट में 10 (दस) प्रतिशत प्लेज्यारिझम (साहित्यिक चोरी) दिखाई देती है तो प्रस्ताव को अयोग्य या खारिज कर दिया जाएगा.
- इस योजना के अंतर्गत यूनिवर्सिटी में प्राप्त प्रस्ताव अन्य कहीं भी प्रस्तुत या प्रकाशित नहीं होना चाहिए.
- अन्यथा उनका कानूनी नियम के तहत रद्द कर दिया जाएगा.
- कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कानूनी मामले के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार रहेगा.
- पुस्तक प्रस्ताव और साथ ही अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले लेखक कॉपीराइट और अन्य स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होगा.

➤ सहायता की कोई भी मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वित्तीय पुरस्कार के साथ प्रकाशित ऋण स्वीकृति मुख्य पृष्ठ के पीछे स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए.
- प्रकाशित पुस्तक में किसी भी प्रकार का विज्ञापन या किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संदेश नहीं चाहिए.
- इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त की गई पुस्तक की हस्तप्रत में डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी संशोधन-कार्य नहीं किया जा सकता.
- पुस्तक को सहायता की अधिसूचना की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए.
- गार्गी कमिटी, डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अगर आवश्यक करना समझें तो प्राप्त अनुदान आदेश के तहत उपरोक्त शर्तों की या पूरक शर्तों का पालन करना अनिवार्य कर सकता है.
- पुस्तक में वर्तनी, आधिकारिक वर्तनी शब्दकोश के अनुसार होनी चाहिए.
- उच्च साहित्यिक गुणवत्ता वाली कृतियों को ही चयनित माना जाएगा. इस बारे में डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा.

➤ अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 20/04/2025

➤ किसी भी प्रश्न / पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें :

gargi.research@baou.edu.in

आवेदन पत्र

- लेखक का पूरा नाम और पता :

- पुस्तक के प्रकाशन के लिए अपेक्षित सहयोग
पुस्तक का प्रकार, शीर्षक और अनुमान
पृष्ठ संख्या :

- निर्धारित प्रकाशन कार्य को पूरा करना
अनुमानित समय : छह महीने

- इसके लिए किसी अन्य संस्था से कोई सहायता
उपलब्ध हुई है ? यदि कोई हो निर्दिष्ट करें :

मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मेरे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के सभी अध्याय मौलिक हैं, और मेरे द्वारा लिखा गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी गलत पाई गई, तो मैं स्विकृत कि गई पूरी धनराशि डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को वापस करने का वचन देती हूँ।

लेखिका के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

शपथ पत्र

प्रति,

‘गार्गी’ - महिला सर्वांगी विकास केंद्र,

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी,

‘ज्योतिर्मय’ परिसर, ऐस.जी. मार्ग,

छारोड़ी , अहमदाबाद – ३८३४८९

विषय : महिला उन्मुखी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु पुरस्कार योजना

श्रीमान,

उपरोक्त विषयानुसार पुरस्कार योजना को विचार करने के अर्थ में मेरी पुस्तक
..... हस्तलिखित पुस्तक (दो प्रति में)
आवश्यक विवरण और आवेदन पत्र के साथ भेजती हूं।

मैंने महिला केन्द्रित पुस्तक लेखन के सभी नियम पढ़ लिए हैं और मैं स्वीकार करती हूं कि सभी नियम मुझ पर बाध्यकारी होगा । यदि मेरी पुस्तक को प्रकाशित करने के उद्देश्य से डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी पुरस्कार को मंजूरी देती है, तो मैं वचन देती हूं कि मैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करूंगी ।

लेखिका के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :